



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक:- F-37/नि.आ./जेडएलसी/का.वि./2022/3215

दिनांक:- 13/7/22

:- कार्यवाही विवरण :-

जोन पश्चिम की जोन स्तरीय समिति (जेडएलसी) की बैठक दिनांक 08.07.2022 को उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत् निर्णय लिये गये।

एजेण्डा संख्या 1 :-

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 146 रकबा 44.17.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गा कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 17.06.1999 से पूर्व की है तथा पैरा संख्या 02 अनुसार मौके पर 50 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है।
2. सर्वेयर अनुसार योजना का कुल क्षेत्रफल 70810.85 वर्गमीटर है।
3. आवेदित भूमि को मुख्य पाल रोड 200 फीट तथा एम्स रोड 100 फीट सड़क पर स्थित है।
4. पूर्व अनुमोदित योजना को यथावत रखते हुए खसरा संख्या 146 के शेष बचे भाग को सम्मिलित करने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान ए.पी.सी बैठक दिनांक 10.12.2012 अनुसार एरिया वर्गमीटर	इसी खसरे का शेष भाग को सम्मिलित करने पर क्षेत्रफल वर्गमीटर	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिशत
1.	आवासीय	42916.07	1229.12	44145.19	62.34
2.	सड़क	24417.92	1652.25	26070.17	36.86
3.	पार्क	595.47	-	595.47	0.8
कुल		67929.48	2881.37	70810.85	100

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. पूर्व अनुमोदित योजना प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे, तथा खसरा संख्या 146 के शेष भाग को सम्मिलित करते हुए संयुक्त क्षेत्रफल विश्लेषण अनुरूप मानचित्र जारी किया जावे।
2. अवाप्ति व विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
3. मुख्य पाल रोड का मार्गाधिकार 60 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे।
4. पाल रोड एवम् एम्स रोड जक्शन पर जोनल प्लान अनुसार सर्कल से प्रभावित भूमि का अंकन ले-आउट प्लान पर किया जावे।

एजेण्डा संख्या 2 :-

विषय:- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 80 के भूखण्ड संख्या ए का वनाप 1333.33 वर्गगज, भूखण्ड संख्या बी का वनाप 666.66 वर्गगज दोनों भूखण्डों का वनाप 2000 वर्गगज के संयुक्तीकरण वावत्।

आवेदक :- श्रीमती प्रिति आवतानी पत्नी श्री अनिल आवतानी।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद विचार-विमर्श प्रकरण में मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से पुर्नगठित भूखण्डों का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने की शर्त पर संयुक्तीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

म.प.
तहसीलदार पश्चिम,
सदस्य
जोविप्रा, जोधपुर

सहायक/अधिशायी
अभियन्ता पश्चिम
सदस्य
जोविप्रा, जोधपुर

सहायक/उप नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव
जोविप्रा, जोधपुर

उपायुक्त पश्चिम,
संयोजक
जोविप्रा, जोधपुर

क्रमांक:- F-37 / नि.आ. / जेडएलसी / का.वि. / 2022 / 3216 - 20
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक:- 13/7/22

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. तहसीलदार (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।


उप नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
जोन स्तरीय समिति (जेडएलसी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर